OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

TELE: 040-27843385 **FAX: 040-27817275**

PART- I OO No. 20 Date: 31.12.2015

Sub: Recruitment Rules for the post of Assistant Accounts Officer in Defence Accounts Department.

***

Recruitment Rules for the post of Assistant Accounts Officer in Defence Accounts Department published in Gazette of India vide SRO No. 34 dated 01/09/2015 is enclosed herewith for information and guidance of all concerned.

Please acknowledge receipt.

Sd/-
(A Visweswara Rao)
Controller

Original in: AN/I/3010

Copy to:

1. All the Sub-offices/sections in Main office
2. Part I OO File
3. Guard File
4. EDP Centre: for uploading pl.

Senior Accounts Officer (AN)

कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक

नं.1, सं.1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 500 009.

का.आ. भाग 1 सं. 20 दिनांक : 31.12.2015

विषय : रक्षा लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद के संबंध में भर्ती नियम ।

*****

भारत के राजपत्र में अधिसूचित (दिनांक 01 सितंबर, 2015 का एस.आर.ओ. नं. 34) रक्षा लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद के भर्ती नियमों को सभी संबधित पक्षों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न किया जाता है ।

कृपया पावती दें ।

हस्ता/-
(ए. विश्वेश्वर राव)
रक्षा लेखा नियंत्रक

मूलप्रति : AN/ I/3010

प्रतिलिपि :

1. सभी उप-कार्यालय/ मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
2. का.आ. भाग 1 फाइल
3. गार्ड फाइल

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2015, शनिवार/भाद्र 22—भाद्र 28, 1937

No. 18] NEW DELHI, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2015, SATURDAY/ BHADRA 22—BHADRA 28, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed asA separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2015

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी), भर्ती नियम, 1989, तथा रक्षा लेखा विभाग (अनुभाग अधिकारी(लेखा), भर्ती नियम, 2008, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, सहायक लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**- यह नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :-** उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** - वह व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक लेखा अधिकारी	3690*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.	चयन	30 वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल एवं स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।